

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस
Notice for Extraordinary General Meeting

29 मार्च 2011, वडोदरा
29th March 2011, Vadodara



निवेशक सेवा विभाग:

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, प्रथम तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.

INVESTORS' SERVICES DEPTT:

Baroda Corporate Centre, 1st Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

Email: investorservices@bankofbaroda.com

विषय CONTENTS

	पृष्ठ सं Page No.
नोटिस NOTICE	1
व्याख्यात्मक विवरण EXPLANATORY STATEMENT	4
प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	9
उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पत्र ATTENDANCE SLIP AND ENTRY PASS	11



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा -390006
कार्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर
सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुम्बई -400 051

Head Office: Mandvi, Baroda 390 006
Corporate Office: Baroda Corporate Centre,
C-26, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051

नोटिस

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक 29 मार्च, 2011 को सुबह 10.30 बजे प्रोफेसर सी.सी. मेहता आडीटोरियम, जनरल एज्युकेशन सेन्टर, दि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा, वडोदरा-390 002 में सम्पन्न होगी:

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाये तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना पारित करना

“यह संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद जिसे ‘योजना’ कहा गया है) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद जिसे ‘अधिनियम’ कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और/या इस बारे में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्ष और ऐसे अनुमोदन की मंजूरी में उनके द्वारा निर्धारित ऐसे नियमों, शर्तों और उसमें संशोधन के अध्यक्ष और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति होगी और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अध्यक्ष और स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किये गये सूचीकरण करार के अध्यक्ष और बैंक के शेयरधारकों

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of Baroda will be held on Tuesday, 29th March 2011 at 10.30 A.M. at Prof. C. C. Mehta Auditorium, General Education Centre, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara - 390002 to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the ‘Act’) read with the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the ‘Scheme’) and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the

की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसे यहां इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है जिसमें एक समिति का समावेश होगा जिसे बोर्ड द्वारा इस संकल्प के तहत प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करने के लिए गठित किया जाएगा और/या गठित कर सकेगा) को सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निश्चित 892.14 रुपये (आठ सौ बियान्वे रुपये और चौदह पैसे केवल) के प्रीमियम पर 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर नकद मूल्य के 3,63,68,024 (तीन करोड़, तरेसठ लाख, अड़सठ हजार, चौबीस) शेयर, जिसका कुल मूल्य 3280,90,49,171.36 रुपये (तीन हजार दो सौ अस्सी करोड़, नब्बे लाख, उनचास हजार, एक सौ इकहत्तर रुपये तथा छत्तीस पैसे) है, का सृजन करने, उन्हें ऑफर करने, उन्हें जारी करने और उन्हें भारत सरकार को अधिमानता आधार पर आर्बिट्रिट करने की मंजूरी दी जाती है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध तारीख 27 फरवरी, 2011 है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल के पास भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों से शेयरों के निर्गम, आर्बंटन एवं उनको सूचीबद्ध करने हेतु उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करने/मंजूरी के समय उक्त प्रस्ताव में यथा अपेक्षित अथवा लागू किए गए किसी भी प्रकार के आशोधन को निदेशक मंडल की सहमति के अनुरूप स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य माने जाएंगे और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है तो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार उसके हकदार होंगे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजन हेतु बोर्ड पूर्णतः अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित तथा वांछनीय प्रतीत होने वाले ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों तथा कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है और इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, समस्या या संदेह का निपटान करने और ऐसे सभी

Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall deemed to include a Committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot upto 3,63,68,024 (Three crores sixty three lacs sixty eight thousand and twenty four) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at a premium of Rs. 892.14 (Rupees eight hundred ninety two & paise fourteen only) as determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating upto Rs. 3280,90,49,171.36 (Rupees Three thousand two hundred eighty crores ninety lacs forty nine thousand one hundred seventy one and paise thirty six only) on preferential basis to Government of India.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is 27th February, 2011.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to

कार्यों, विलेखों, मामलों और कृत्यों को करने, अपने पूर्णतः विवेकानुसार शेयरधारकों की आगे कोई और सहमति या अनुमोदन लिये बिना आवश्यक, वांछनीय या जरूरी सभी दस्तावेजों और लिखतों को अंतिम रूप देने और उन्हें निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है अथवा शेयरधारकों की ओर से करने और उनकी ओर से अभिप्रेत को करने के लिए अधिकृत करने हेतु इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त किये गये अनुसार उनका अनुमोदन माना जायेगा.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा वह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशकों अथवा बैंक के किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे वह उचित समझे, उपरोक्त संकल्प को लागू करने हेतु, इसमें यहां प्रदत्त सभी अथवा किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत है.”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

एम. डी. मल्ल्या

(एम. डी. मल्ल्या)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 05 मार्च 2011

By order of the Board of Directors



(M. D. Mallia)

Place: Mumbai

Date : 5th March 2011 Chairman & Managing Director

नोट

कार्य-सूची मदों के बारे में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु पात्र होगा / होगी और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत इस पर हस्ताक्षर किया गया है अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र की एक प्रति जिसे नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट ने एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया हो, जब तक कि उस प्रकार का मुख्तारनामा अथवा कोई अन्य प्राधिकार पत्र पहले बैंक में जमा और पंजीकृत न कराया गया हो, के साथ बैठक की तारीख से कम-से-कम 4 दिन पहले अर्थात् गुरुवार 24 मार्च 2011 को बैंक के कारोबार समय की समाप्ति से पहले अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले केवाईसी एवं एएमएल विभाग, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 8 वां तल, सूरज प्लाज़ा-1, सयाजीगंज, वडोदरा-390 005 में स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे यथा विधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति जिसे उसे बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 24 मार्च 2011 को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक ऑफ़ बड़ौदा केवाईसी-एएमएल विभाग, 8 वां तल, सूरज प्लाज़ा-1, सयाजीगंज, वडोदरा-390 005 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के पास जमा न कर दिया गया हो।

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश-पत्र संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों /

Notes

The Explanatory Statement concerning the Agenda Item is annexed hereto.

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office situated at Bank of Baroda KYC & AML Department, 8th floor, Suraj Plaza I, Sayajigunj, Vadodara - 390005 not later than FOUR DAYS before the date of the Extra Ordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Thursday, 24th March 2011 together with a Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank situated at Bank of Baroda KYC-AML Department, 8th floor, Suraj Plaza I, Sayajigunj, Vadodara - 390005 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Thursday, 24th March 2011

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice, Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their

प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी / शेयरधारक के प्रतिनिधि, जैसा मामला हो, उपस्थिति पर्ची में स्पष्ट करें कि वह 'प्रॉक्सी' है या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' है.

मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार से भिन्न तदनुसूची नये बैंक का कोई भी शेयरधारक तदनुसूची नये बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 1 प्रतिशत से अधिक धारित शेयरों के बारे में मताधिकार का हकदार नहीं होगा.

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपने नोटिस की प्रति लेकर आएँ.

व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं) अधिनियम 2009 के अनुसार किए जाने के लिए अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण.

(क) अधिमान निर्गम का उद्देश्य :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की धारिता को 58% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. तदनुसार भारत सरकार ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी के अधिमानी आबंटन के माध्यम से पूंजी लगाने का निर्णय लिया है जिनमें भारत सरकार की धारिता 58% से कम है. जुटाई गयी पूंजी का इस्तेमाल पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने एवं बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों के निधियन हेतु किया जाएगा.

(ख) यह अधिमानी निर्गम बैंक के प्रवर्तक भारत सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से अभिदत्त होगा. निर्गम मूल्य का निर्धारण, सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 (1) के अनुसार होगा. चूंकि निर्गम-मूल्य निर्धारण के लिए संबद्ध तारीख 27 फरवरी, 2011 है, अतः निर्धारित निर्गम मूल्य रु. 902.14 है.

signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the Meeting. Proxy/ Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE NOTICE TO THE MEETING.

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009.

a) Objects of the Preferential Issue

In an initiative to strengthen the capital of the Public Sector Banks, the Govt. of India decided to raise the Government of India's holding in Public Sector Banks (PSBs) to 58%. Accordingly the Government of India has decided to infuse capital in those PSBs where Government of India's holding is less than 58%, by way of Preferential Allotment of equity in favour of the Government of India. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

b) **This entire preferential issue will be subscribed by the Government of India** – the Promoter of the Bank. The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. The issue price so determined is Rs.902.14 considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is 27th February, 2011.



(ग) निर्गम-पूर्व एवं उपरांत शेयरधारिता का स्वरूप

c) Shareholding Pattern before and after the Issue

क्रम सं. Sl. No.	श्रेणी Category	निर्गमपूर्व Before the Issue		निर्गम उपरांत After the issue	
		धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरधारिता प्रतिशत Percentage of shareholding	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरधारिता प्रतिशत Percentage of shareholding
क. A.	प्रवर्तकों की धारिता Promoter's Holding				
1	प्रवर्तक Promoters				
	भारत सरकार Government of India	196000000	53.81	232368024	58.00
	विदेशी प्रवर्तक Foreign promoters	-	-	-	-
2	सहमति में कार्य करने वाले व्यक्ति Persons acting in concert	-	-	-	-
	उप योग Sub Total	196000000	53.81	232368024	58.00
ख. B	गैर प्रवर्तक धारिता Non –Promoter Holding				
3	संस्थागत निवेशक Institutional Investors				
क a	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई Mutual Funds and UTI	33359224	9.16	33359224	8.34
ख b	बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां (केन्द्रीय / राज्य सरकार संस्थान / गैर सरकारी संस्थान) Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt. Institutions/Non-government Institutions)	29226260	8.02	29226260	7.29
ग c	विदेशी संस्थागत निवेशक FII's	64851234	17.80	64851234	16.19
	उप योग Sub Total	127436718	34.98	127436718	31.82
4	अन्य Others				
क a	निजी कॉर्पोरेट निकाय Private Corporate Bodies	18327820	5.03	18327820	4.57
ख b	भारतीय जनता Indian Public	20171434	5.54	20171434	5.03
ग c	एनआरआई / ओसीबी NRIs/ OCBs	2041015	0.56	2041015	0.51
घ d	अन्य कोई Any Others	289513	0.08	289513	0.07
	उप योग Sub Total	40829782	11.21	40829782	10.18
	कुल योग Grand Total	364266500	100.00	400634524	100.00

- (घ) बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
- (ङ) चूंकि संपूर्ण निर्गम बैंक के मुख्य शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार को अधिमानता आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए नियंत्रण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (च) भारत सरकार की शेयरधारिता निर्गम पूर्व एवं निर्गम उपरांत निम्नानुसार होगी।

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम पूर्व	196000000	53.81
निर्गम उपरांत	232368024	58.00

- (छ) बैंक का इक्विटी शेयर छः महीने से अधिक से सूचीबद्ध है, इस कारण सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(3) एवं 78(5) और सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के विनियम 73(1) (एफ) तथा (जी) के अंतर्गत प्रकटीकरण संबंधी प्रावधान लागू नहीं हैं।
- (ज) भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किए जाने वाले सभी शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अवरुद्ध रहेंगे।
- (झ) सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि यह निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुकूल किया जा रहा है, असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ण) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिकरूप में हैं तथा बैंक द्वारा इक्विटी शेयर की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों, जैसा कि उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट है जिसमें कि बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संबद्ध तारीख से पहले के छः महीनों के दौरान कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचा गया है।

- d. The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- e. As the entire issue is proposed to be allotted to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis there would not be any change in control.
- f. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under.

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue	196000000	53.81
Post -issue	232368024	58.00

- g. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
- h. All the shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.
- i. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- j. All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.



आपके निदेशकगण विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करते हैं.

बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई वास्ता अथवा इसमें हित नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एम. डी. मल्ल्या

(एम. डी. मल्ल्या)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 5 मार्च 2011

Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By order of the Board of Directors

(M. D. Mallia)

Place: Mumbai

Date : 5th March 2011 Chairman & Managing Director

फॉर्म बी प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, दि. 29 मार्च, 2011

पंजीकृत फोलियो नंबर		डी.पी.आई.डी. नं.*	
		ग्राहक आई डी नं.	

(*इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए लागू)

मैं / हम _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ़ बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा
श्री / श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ को मंगलवार, 29 मार्च, 2011 को सुबह 10:30 बजे प्रोफेसर सी. सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एज्युकेशन
सेंटर, दि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा, वडोदरा - 390 002 में या इसकी किसी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के
शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं /
करती हूं / करते हैं.

दिनांक _____ माह _____ 2011 को हस्ताक्षरित.

कृपया 15 पैसे
का रसीदी
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रथम शेयरधारक /
एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- प्रॉक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि,
क) यह एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा न हो.
ख) संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
ग) निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
बशर्ते, प्रॉक्सी-लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, किंतु यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान वहां लगा है, तो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्स या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि इस पर विधिवत् टिकट न लगी हो और इसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रधान कार्यालय में केवाईसी-एएमएल विभाग, 8 वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, वडोदरा - 390 005 के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 24 मार्च, 2011 को बैंक का कार्य समय समाप्त होने से पूर्व शाम 5.00 बजे जमा न कराया गया हो, इसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, को जमा न कराया गया हो, बशर्ते ऐसी पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.
- कोई भी प्रॉक्सी-लिखत जब तक फॉर्म बी में नहीं होगा, उसे वैध नहीं समझा जाएगा
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी.
- विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी - लिखत का गारंटीदाता असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान का हकदार नहीं होगा.
- जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत् प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा,
- प्रॉक्सी फॉर्म में किए गए सभी फेरबदल पर विधिवत रूप से अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए.

FORM B
PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Extraordinary General Meeting

Tuesday, 29th March 2011

Regd. Folio No.		DPID No.*	
		Client ID No.*	

(*Applicable for Members holding shares in electronic form)

I / We _____ resident of _____
in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the Shareholders of BANK OF BARODA to be held on the Tuesday, 29th March 2011, at 10.30 a.m. at Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara – 390 002 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011

Signature of Proxy

Name : _____

(In Block Letters)

Address : _____

Affix
(15 paise)
Revenue
Stamp

**Signature of first named /
Sole Shareholder**

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless:
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing or
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing or
 - In the case of the body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark / thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government gazetted officer or an officer of Bank of Baroda.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, **not later than –4- days before the date fixed for the meeting** i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Thursday, 24th March 2011, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
- All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करनी होगी)

दिनांक	29 मार्च, 2011
समय	प्रातः 10.30 बजे
स्थान	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एज्युकेशन सेंटर, दि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा, वडोदरा-390002

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:	
पंजीकृत फोलियो नं. (अगर डिमेट में न हो)/डी.पी. आई.डी. एवं ग्राहक आईडी (यदि डिमेट में हो).	
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

प्रवेश पर्ची

(बैठक के दौरान साथ में रखनी होगी)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:	
पंजीकृत फोलियो नं. (अगर डिमेट में न हो)/डी.पी. आई.डी. एवं ग्राहक आईडी (यदि डिमेट में हो).	
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारकों/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर जैसी यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेशपत्र एक साथ प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश, सत्यापन/जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में, बैठक हाल में प्रवेश करने के लिए कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

Date	29th March 2011
Time	10.30 A.M.
Place	Prof. C. C. Mehta Auditorium, General Education Centre, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara - 390002

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	
Regd. Folio No. (if not dematerialized) / D.P. ID & Client ID (if dematerialised).	
Name of the Shareholder	
No. of Shares:	

ENTRY PASS

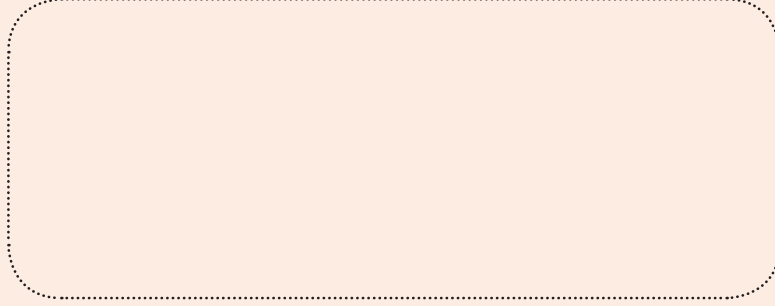
(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	
Regd. Folio No. (if not dematerialised) / D.P. ID & Client ID (if dematerialised).	
Name of the Shareholder	
No. of Shares:	

Shareholders/proxy or authorized representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting hall.

बुक पोस्ट Book Post

डाक अधिप्रमाणन के अधीन
Under Certificate of Posting



गैर सुपुर्दगी की स्थिति में नीचे दिए गए पते पर लौटायें :

मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
प्लॉट नं 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास
विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500081
फोन नं : 040-2342 0815 से 820
फैक्स नं : 040-2342 0814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

If undelivered, please return to:

M/s Karvy Computershare Private Ltd
(Unit : Bank of Baroda)
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital
Vittalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500 081
Phone No. 040 – 2342 0815 to 820,
Fax No. 040 – 2342 0814
e-mail : einward.ris@karvy.com